**संख्या-4/2018/3425/52-1-2018-31(एम0एस0डी0पी0)/17**

**प्रेषक,**

**डा0 पिंकी जोवल,**
**विशेष सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन।**

**सेवा में,**

**निदेशक,**
**अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,**
**इन्दिरा भवन, लखनऊ।**

**अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 03 जनवरी, 2018**

**विषय मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए जनपद-कासगंज के गंजडुडवारा में राजकीय पालिटेक्निक के निर्माण हेतु केन्द्रांश की प्रथम किश्त एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

**उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(30)/2013-पी0पी0, दिनांक 31.03.2017 से उक्त योजना के लिए कुल अनुमोंदित लागत रू0 1230.00 लाख से प्रश्नगत कार्य को करने हेतु उ0प्र0 वक्फ विकास निगम लि0 को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 738.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 369.00 लाख (रूपये तीन करोड. उनहत्तर लाख मात्र) तथा उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश रू0 246.00 लाख (रूपये दो करोड. छियालिस लाख मात्र) अर्थात् कुल रू0 615.00 लाख (रूपये छ: करोड पन्द्रह लाख मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित बजट रू0 5000.00 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं।**

**(केन्द्रांश-60/रा0-40 प्रतिशत)** **(रू0 लाख में)**

| क्र0 | जनपद | योजना | इकाई | इकाई लागत | कुल अनुमोदित केन्द्रांश | कुल राज्यांश | कुल लागत | अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित प्रथम किश्त | | वर्तमान में अवमुक्त कुल धनराशि (के0+रा0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | केन्द्रांश | राज्यांश | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | कासगंज | वि0ख0-गंज डुडवारा में राजकीय पालिटेक्निक, का निर्माण | 01 | 1230.00 | 738.00 | 492.00 | 1230.00 | 369.00 | 246.00 | 615.00 |
| | | योग= | 01 | | | | | 369.00 | 246.00 | 615.00 |

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जाय। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।

2- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निदेशक, उ0प्र0 वक्फ विकास निगम लि0 को हस्तान्तरित की जायेगी तथा कार्य को 18 माह में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-मदों पर ही व्यय की जायेगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के निदेशक तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग के मध्य किये गये त्रिपक्षीय एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) की शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि का व्यय योजना में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-समय पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों की अधीन किया जायेगा।

4- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

6- कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत राजकीय पालिटेक्निक पर एक बोर्ड का निर्माण किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, योजना की लागत, बजट का स्रोत, कान्ट्रेक्टर का नाम व भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि का अंकन होगा। कार्य के पूर्णोपरान्त उस पर स्थायी रूप से विवरण अंकित किया जायेगा।



Unicode Polytechnic G.O

7- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत राजकीय पालिटेक्निक के निर्माण की विशिष्टियॉं, मानक, भवन एवं उपकरण आदि की डिजाइन वही होगी जो केन्द्र/राज्य सरकार अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित है।

8- निर्माण कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उसके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

9- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक् खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा।

11- अवमुक्त धनराशि का दुरूपयोग होने की स्थिति में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

12- वांछित धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी

13- लेबर सेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।

14- कार्यदायी संस्था द्वारा अनुमोदित सीमा तक सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा ।

15- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

16- उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी, कार्यदायी संस्था एवं सम्बन्धित विभाग का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा ।

http://shasnadesh.up.nic.in

17- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यथावश्यकता स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से मानचित्रों को स्वीकृत कराया जायेगा तथा समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य से सम्बन्धित सम्परीक्षित लेखे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराये जायेंगे।

4- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0111-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय पालिटेक्निक का निर्माण (के0 60/रा0 40-के0+रा0)-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 के प्रस्तर-2(12)/(छ) के क्रम में भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन अनुमन्य नहीं होगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-11-1104/दस-2017, दिनांक 02.01.2018 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीया,

(डा0 पिंकी जोवल)
विशेष सचिव।

संख्या- (1)/बावन-1-2018-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत राजकीय पालिटेक्निक के निर्माण में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।

8- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर।

9- निदेशक, उ0प्र0 वक्फ विकास निगम लि0 को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत राजकीय पालिटेक्निक के निर्माण कार्य समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण ढ़ग से पूर्ण कराने का कष्ट करें।

10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

11- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कासगंज ।

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।

13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरी राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in